<u>प्रेस नोट</u>

दीव में अवैध शराब व्यापार पकडने के लिए चलाया गया अभियान

दीव, दिनांक 14/11/2018 - दिनांक 14/11/2018 को समाहर्ता एवं अपर आबकारी आयुक्त, दीव के निर्देशानुसार शराब के अबैध धंधे की आकस्मिक जॉच-पडताल की गई । इसके लिए तीन टीम बनाई गई थी । पहली टीम में आबकारी उप आयुक्त एवं उप समाहर्ता सहित आबकारी गार्ड एवं पुलिस कॉन्स्टेबल दीव स्थित मछली मार्केट पहुँचे एवं पूछ-ताछ और जॉच - पड़ताल के बाद श्री रबिन्द्र जेठालाल के मकान के पास बने गोदाम से रूपये 3,50,000/- की अवैध शराब मिली । दूसरी टीम में शामिल मामलतदार सहित आबकारी गार्ड एवं महिला पुलिस कॉन्स्टेबल श्री धर्मेन्द्र जेठालाल के मकान में खोजबीन करने पर वहॉ से कोई शराब नहीं मिली । इसी प्रकार तीसरी टीम में सहायक मत्स्योद्योग अधीक्षक श्री सुकर ऑजनी सहित आबकारी निरीक्षक एवं महिला कॉन्स्टेबल आदि घोघला के सिद्धि बिनायक मंदिर के पास बान्दोडकर कॉलोनी में श्रीमती कल्पनाबेन वीरेन्द्र के परिसर पहुँचे, जहॉ उक्त मकान के पडोसियों से मकान-मालिक के बारे में पूछा गया । परन्तु किसी ने भी संबन्धित मकान मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी । फिर आबकारी उप आयुक्त, दीव, श्री के. एस. गायकवाड़, रेंज वन अधिकारी एवं श्री अन्तर्यामी परिड़ा, सहायक निदेशक (राजभाषा) की उपस्थिति में मकान का ताला तोड़ा गया तथा खोजबीन के बाद रूपये.1,30,000/- कीमत की शराब बरामद हुई ।

इस प्रकार दीव में जहॉ भी जॉच-पडताल हुई वहॉ अवैध शराब धंधा का पर्दाफाश हुआ । इस मामले में अगली जाँच - पड़ताल जारी रहेगी तथा जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~